संख्या : 849 / III(3) / 2022–802(नाबार्ड) / 2011

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 25 जुलाई, 2022

विषयः– नाबार्ड वित्त पोषण हेतु कार्यों के चयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 491 / III(3) / 2022–802(नाबार्ड) / 2011, दिनांक 16.04.2021 द्वारा नाबार्ड वित्त पोषण हेतु कार्यों के चयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण किया गया है, जिसमें कतिपय अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश से निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को **अतिक्रमित करते हुए** मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

(i) राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त सड़कों / सेतुओं को राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत ससमय पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो पाता है। राज्य के नागरिकों को आधारभूत सुविधा ससमय उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सरकार द्वारा नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर योजनाओं को गति प्रदान की जाती है। विगत वर्षों में नाबार्ड की कई फेजों में योजनाओं को स्वीकृत कराने के उपरान्त भी कई योजनायें विभिन्न कारणों यथा समरेखण विवाद, वनभूमि हस्तान्तरण, नापभूमि अधिग्रहण तथा मा0 न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण अत्यधिक समय तक लम्बित रही हैं। ऐसे कार्य या तो स्लोमूविंग अथवा नॉन स्टार्टर की श्रेणी में आ जाते हैं, जिस कारण नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर ब्याज की अदायगी राज्य सरकार को अतिरिक्त रूप से वहन करनी पड़ती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने हेतु योजनाओं का चयन इस प्रकार किया जाय ताकि स्वीकृत योजनायें त्वरित गति से सम्पादित हो सके, जिस हेतु यह मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जानी नितांत आवश्यक होगी।

(ii) इस मानक संचालन प्रक्रिया को नाबार्ड योजनान्तर्गत वित्त पोषण हेतु कार्यों के सही चयन एवं चयनित कार्यों की भौतिक / वित्तीय प्रगति निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण किये जाने के निमित्त तैयार किया गया है। इस मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाने से नाबार्ड योजनान्तर्गत वित्त पोषित योजनाओं को समयान्तर्गत पूर्ण किया जा सकेगा। उक्त के साथ–साथ योजनाओं / कार्यों के त्रुटिपूर्ण चयन नहीं होगा, जिससे चयनित कार्य नॉन स्टॉटर एवं स्लो मूविंग श्रेणी में नहीं आयेंगे। इस मानक संचालन प्रक्रिया से नाबार्ड योजनान्तर्गत वित्त पोषण हेतु चयनित कार्यों / योजनाओं को त्वरित गति से पूर्ण किये

जाने, नाबार्ड योजनाओं के चयन एवं प्रगति सुनिश्चित किया जाना है।

(iii) यह मानक संचालन प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यालयों/कार्यस्थल पर लागू होगी:—

(1) विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।

(2) मुख्य अभियन्ता, नाबार्ड, लोक निर्माण विभाग।

(3) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।

(4) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता।

(5) निर्माण कार्यस्थल।

(iv) निर्माण कार्यों को नाबार्ड योजनान्तर्गत प्रस्तावित किये जाने से पूर्व चयन प्रक्रिया निम्नवत होगी:—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के दृष्टिगत नाबार्ड योजनाओं का चयन नाबार्ड की गाईडलाईन के तहत किया जाए।

(2) प्रस्तावित कार्य में किसी भी प्रकार का समरेखण विवाद/भूमि विवाद न हो तथा कार्य किसी भी मा0 न्यायालय के विचाराधीन न हो।

(3) प्रस्तावित कार्यों की वनभूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो तथा ग्रामीणों का किसी भी प्रकार का भूमि विवाद न हो अर्थात सभी प्रकार से बाधा विहीन हो।

(4) प्रस्तावित कार्य का विस्तृत आगणन गठित हो।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य नाबार्ड वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित न किए जाए।

(6) एक कि0मी0 से कम लम्बाई के कार्य नाबार्ड में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित न किए जाए।

(7) प्रस्तावित किए जाने वाले कार्य किसी अन्य योजना जैसे—एस0सी0पी0/टी0एस0पी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 तथा नाबार्ड में पूर्व से ही चयनित अथवा स्वीकृत न हो।

(8) सेतु के उन्हीं कार्यों के प्रस्ताव नाबार्ड में सम्मिलित किए जाए, जिनके उपरोक्तानुसार मानक पूर्ण हों एवं सेतु की डिजाईन, वैटिंग भी पूर्ण की गई हो तथा कार्य का अनुबन्ध गठित किया गया हो अथवा निविदा प्रक्रिया गतिमान हो।

(9) राज्य योजना की भाँति विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में विभागीय समिति की बैठक में नाबार्ड में प्रस्तावित किए जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार पूर्ण विवरण व औचित्य अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यों के नाबार्ड में चयन हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता औचित्य देते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(10) चयन हेतु प्रस्तावित कार्यों के समस्त बाधाओं से मुक्त होना प्रमाणित होने पर प्रस्तावित कार्य औचित्यपूर्ण पाये जाने पर नाबार्ड में स्वीकृति हेतु अग्रसारित किए जायेंगे।

(11) नाबार्ड वित्त पोषण हेतु वित्त विभाग को प्रेषित की जाने वाली परियोजनाओं में 50 प्रतिशत बड़ी परियोजनाएं (रु0 10.00 करोड़ से अधिक की लागत) सम्मिलित की जाए।

(12) नाबार्ड वित्त पोषण हेतु वित्त विभाग को प्रेषित की जाने वाली परियोजनाओं के आगणन पूर्व में ही तैयार रखे जाए।

भवदीय,
Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 22-07-2022 18:42:55
रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव।

Phone/Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"नियोजन–।।।"
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड़ देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pw E-mail: cepwdua

पत्रांक :– 73 /10(26) नाबार्ड–नि0–।।।/22 दिनाक– 16 /08/2022

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
पौडी/देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोडा।

विषयः– नाबार्ड वित्त ~~पोषित~~ पोषण हेतु कार्यो के चयन के लिए मानक संचालन प्रकिया (**SOP**)का निर्धारण।

सन्दर्भः– शासन का पत्र संख्या 491/।।। (3)/2021–802(नाबार्ड)/2011 दिनांक 16.04.2021 एवं इस कार्यालय का पत्र संख्या 65/10(13)नाबार्ड–नि0–।।।/2021 दिनांक 29.04. 2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा नाबार्ड वित्त पोषण हेतु कार्यो के चयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP**) का निर्धारण किया गया था, जिसमें कतिपय अतिरिक्त प्राविधान समिलित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुए उक्त सन्दर्भित पत्र से निर्गत शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 849/।।।(3)/2022–802(नाबार्ड)/2011 दिनांक 25 जुलाई 2022 द्वारा नाबार्ड में वित्त पोषण हेतु सम्मिलित किये जाने हेतु नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP**) का निर्धारण किया गया है।

अतः शासन के उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नाबार्ड में अगामी वर्षो में सम्मिलित किये ~~गये~~ जाने वाली सभी योजनाओं के प्रस्ताव/डी0पी0आर0 नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP**) का पालन करते हुए चयनित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– शासन का उक्त पत्र दिनांक–25.07.2022

(इं0 के0एस0असवाल)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(नियो0)

प्रतिलिपि–प्रमुख अभियन्ता महोदय, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य अभियन्ता (नियोजन) विभागाध्यक्ष कार्यालय,लो0नि0वि0,देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को शासन का उक्त पत्र संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इसकी प्रति अपने अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ताओ को उपलब्ध कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता (नोडल अधिकारी) नाबार्ड विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, आई टी0,विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0,देहरादून को शासन से जारी **SOP** की प्रति पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

18.6.22
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(नियो0)